न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
पीठासीन अधिकारी श्री चन्द्रशेखर भण्डारी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 125 / 2016
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.ए.

अनवान

1. प्रकाशचन्द्र पिता मिठा लाल सुराणा उम्र वयस्क निवासी सहाडा तहसील सहाडा

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु गंगापुर, जिला–भीलवाड़ा
2. परियोजना अधिकारी राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण आर.सी.व्यास कोलोनी भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)। **(डिलिट)**

प्रतिवादीगण

दिनांकः 29 / 06 / 2017

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सहाडा के बेरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 1331 / 1 रकबा 5 बिस्वा भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज रेकार्ड थी। उक्त भूमि को तत्कालीन खोतदार से मांगी लाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा जो कि रिश्ते में वादी के ताउ लगते है ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सन् 1969 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 911 फैसल किया गया। उक्त भूमि जमाबन्दी संख्या 2026 से 2029 में मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा के नाम खातेदारी हक अधिकार से दर्ज हुई हैं। मांगीलाल ने उक्त भूमि अपने नाम होने के पश्चात् आबादी में दर्ज करवाने की कार्यवाही की। ग्राम सहाडा के नामान्तरकरण संख्या 1034 दिनांक 28.11.19971 को बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिस भूमि को जरिये नामान्तरकरण संख्या 1045 दिनांक 23.02.1972 को आबादी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ग्राम सहाडा का भी नवीन भू–प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजी संख्या 1331 / 1 रकबा 05 बिस्वा के नवीन आराजी संख्या 3494 रकबा 0.02 है0 3496 रकबा 0.02 है0 3497 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये है उक्त आराजियात का इन्द्राज खातेदार के नाम नहीं होने से गे0मु0 आबादी में बिलानाम गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा की मृत्यु के पश्चात आराजी संख्या 3494 रकबा 0.02 है0 3496 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 0.04 है0 भूमि मांगीलाल सुराणा के वारिसान के कब्जे व अधिकार में है तथा आराजी संख्या 3496 व 3497 रकबा 0.015 है0 वादी के पैतृक हक हिस्से में आई है जिस पर वादी काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है वादी द्वारा निर्माण करवा रखा है ग्राम पंचायत सहाडा से उक्त आराजी का वादी के पक्ष में पुशतैनी पट्टा जारी किया गया जिसके पट्टा संख्या 32 दिनांक 13.12.2004 है।

आराजी संख्या 3496 व 3497 में दर्ज भूमि को (बिलानाम गैर काबिल काशत) के बजाय वादी के नामदर्ज करवाया जाना हैं। उक्त भूमि का आंशिक भाग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 को चौडा करने फोरलेन करने में अवाप्त किया जा रहा हैं। वाद ग्रस्त आराजी संख्या 3497 रकबा 0.01 है0 गे0मु0 आबादी का पक्का

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाडा (राज)

क्रमशः.....02

निर्माण 4 दुकाने व बरामदा एवं पानी का टैंक होकर व्यवसायिक उपयोग हो रहा हैं। वादी ने वाद पत्र में प्रार्थना की है कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि ग्राम सहाडा के हाल आराजी संख्या 3496 व 3497 रकबा 0.015 है0 की भूमि को बिलानाम के बजाय वादी के नाम पर बतौर स्वामी राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। वादी ने प्रार्थना यह भी की है कि स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सहाडा की आराजी संख्या 3496 व 3497 में वादी के स्वामित्व एवं अधिपत्य को जबरन बेदखल नहीं करे एवं उसके स्वामित्व के अवाप्त शुदा भाग का मुआवजा वादी केअतिरिक्त किसी अन्य को भुगतान नहीं करें।

वाद पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08/07/2016 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नंम्बर 1 ने अपने जवाब में बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 में अंकित तथ्यों को रेकार्ड अनुसार स्वीकार किया हैं। तथा प्रतिवादी नम्बर 2 की और से प्रस्तुत जवाब में वादी का वाद पत्र खारिज करने बाबत् निवेदन किया। वाद पत्र में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी ग्राम सहाडा की बिलानाम आराजी संख्या 3496 व 3497 मे से 0.015 है0 भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।
   बजिम्मेवादी –
2. अनुतोष

वादी की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 प्रस्तुत किये गये हैं। ग्राम सहाडा की जमाबन्दी प्रदर्श 1 में अंकितानुसार आ0नं0 1331/1 रकबा 5 बिस्वा भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिसे शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान निवासी गंगापुर द्वारा श्री मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा को विक्रय किया जाने से खातेदारी हक से दर्ज होना पाया जाता हैं। नामा0सं0 1034 दिनांक 28.11.1971 से उक्त भूमि बिलानाम दर्ज की गई तथा नामा0 संख्या 1045 दिनांक 23.02.1972 को आबादी में दर्ज हुई। जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श 2 व 3 हैं। साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 के नवीन आराजी नम्बर 3494 रकबा 0.02 है0 आराजी संख्या 3496 रकबा 0.02 है0 आराजी नंबर 3497 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये जिसके मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 हैं। वादी ने अपनी साक्ष्य में कुल 16 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

वादी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गयाहैं।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरणमें तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

तनकी नंबर 1– आया वादी ग्राम सहाडा की बिलानाम आराजी संख्या 3496 व 3497 में से 0.015 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी हैं।

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर होने से वादी ने अपने साक्ष्य में 16 दस्तावेज प्रस्तुत किये।

क्रमशः......03

ग्राम सहाडा की जामबन्दी 2026 से 2029 के अनुसार आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 भूमि शमसुदीन पिता रफीकुदीन मुसलमान नि0 गंगापुर द्वारा मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा को विक्रय की जाने से खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होना पाया जाता हैं। साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल आ0नं0 3494 रकबा 0.02 है0, 3496 रकबा 0.02 है0 व 3497 रकबा 0.01 है0 कायम किये गये। सहमति पत्र प्रदर्श 8 के अनुसार आराजी संख्या 3496, 3497 रकबा 0.015 है0 भूमि प्रकाश चन्द्र पिता मिठालाल सुराणा निवासी सहाडा के हिस्से कब्जे व स्वामित्व की हैं। ग्राम पंचायत सहाडा द्वारा वादी के पक्ष में पटटा भी जारी किया हुआ है ग्राम पंचायत सहाडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 06.12.2012 के अनुसार ग्राम सहाडा की आराजी नम्बर 3497 में निर्मित पक्की पटटी पोश निर्मित दुकानों का स्वामित्व भी प्रकाशचन्द्र पिता मिठा लाल सुराणा निवासी सहाडा का माना जाता हैं।

चूंकि ग्राम सहाडा के साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 भूमि मांगीलाल पिता कजोडीमल सुराणा निवासी सहाडा के नाम जमाबंदी संख्या 2026 से 2029 में दर्ज रेकार्ड होने के पश्चात् उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 1034 से बिलानामदर्ज कर दी गई तथा नामान्तरणकरण संख्या 1045 से साबिक आराजी नम्बर 1331/1 रकबा 0.05 आबादी दर्ज कर दी गई जिसके हाल आराजी नम्बर 3494 रकबा 0.02 है0, 3496 रकबा 0.02 है0 व 3497 रकबा 0.01 है0 किता 3 रकबा 0.05 है0 भूमि जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 में गै0मु0 आबादी दर्ज रेकार्ड हैं। सहमति पत्र प्रदर्श 8 के अनुसार ग्राम सहाडा के आ0नं0 3496, 3497 में से 0.015 है0 भूमि का स्वामित्व प्रकाश चन्द्र पिता मिठालाल सुराणा निवासी सहाडा का माना गया है तथा ग्राम पंचायत सहाडा द्वारा वादी के पक्ष में पटटा भी जारी किया हुआ है अतः तनकी नंबर 1 वादी के पक्ष में निर्णितकी जाती हैं। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सहाडा के आ0नं0 3496 रकबा 0.02 हैं0 में से 0.0050 है0 व 3497 रकबा 0.01 है0 कुल किता 2 रकबा 0.0150है0 भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सहाडा के आराजी नम्बर 3496 रकबा 0.02 है0 में से 0.0050 है0 व 3497 रकबा 0.01 हैं0 किता 2 रकबा 0.0150 है0 भूमि जमाबंदी 2071 से 2074 के खाता नम्बर 01 से विलोपित की जाकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। वादी ने वाद पत्र में 188 आर0टी0ए0 के तहत भी रिलीफ चाही हैअतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सहाडा के आराजी नम्बर 3496 रकबा 0.02 हैं0 में से 0.0050 हैं0 व 3497 रकबा 0.01 हैं0 किता 2 रकबा 0.0150 है0 भूमि से प्रतिवादी वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य से जबरन बेदखल नहीं करें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) ... जिला भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत केम्प सातलियास

पीठासीन अधिकारी चन्द्र शेखर भण्डारी (आर.ए.एस.)

उनवान प्रकरण

प्रकाशचन्द्र पिता मिठालाल सुराणा निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

—वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर
2. परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आर.सी.व्यास कोलोनी, भीलवाड़ा (डिलिट)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं0 125/2016 रे0 वाद

यह मुकदमा अजवास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी मिनजानिद मुदई व ——×—— मिनजानिद मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम सहाड़ा के आराजी नं0 3496 रकबा 0.02 हे0, में से 0.0050 हे0 व 3497 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.0150 हे0 भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नंम्बर 3496 रकबा 0.02 हे0 मं से 0.0050 हे0 व 3497 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0150 हे0 भूमि जमाबन्दी 2071 से 2074 के खाता नम्बर 01 से विलोपित की जाकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी ने वाद पत्र 188 आर.टी. एक्ट के तहत भी रिलीफ चाही है। अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सहाड़ा के आराजी नं0 3496 रकबा 0.02 हे0, में से 0.0050 हे0 व 3497 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.0150 हे0 भूमि से प्रतिवादी वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य से जबरन बेदखल नहीं करें।

कि ——×—— और इस वाद के खर्च लेखे ——×—— रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ——×—— प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ——×—— द्वारा ——×—— को दी जाए।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.06.2017 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)